न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन सं. 226 / 2025
अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act

अनवान

प्रार्थीगण – 1. पूनमा पुत्र मिठू 2. मोती पुत्र मिठू जाति मेघवाल निवासी जाखड़ों की ढाणी (सांवा) तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण – 1. गोपा पुत्र नारणा 2. प्रागा 3. लूणा पिसरान हरचन्द 4. चिमाराम पुत्र प्रहलादराम जाति मेघवाल निवासी जाखड़ों की ढाणी (सांवा) तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर 5. मैनेजर एसबीबीजे शाखा सेड़वा 6. मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक शाखा बुराहन का तला 7. मैनेजर पीएनबी शाखा सेड़वा 8. तहसीलदार एवं उप पंजीयक धनाऊ जिला बाड़मेर

अधिवक्तागण – प्रार्थीगण वकील – श्री मीठूखान समेजा
विप्रार्थीगण – एकतरफा

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 17.02.2026

प्रार्थीगण के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण का शुरू से शामलाती खातेदारी खेत मौजा जाखड़ो की ढाणी, पटवार हल्का सांवा, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर में खसरा संख्या 64 का आया हुआ था। उक्त आराजी में पक्षकारान के मध्य आपसी सहमती से विभाजन हुआ तथा विभाजन से संयुक्त खातेदारी खेत के पृथक–पृथक नवीन खसरा नम्बर 1036 / 1004, 1028 / 64, 530 / 64, 531 / 64, 1005 / 64 रकबा क्रमशः 5. 2389, 0.2104, 10.7646, 2.7842, 2.7761 हैक्टेयर कायम होकर रकबा विभाजित हुआ इस विभाजन का नामान्तरकरण खोला गया रकबे के विभाजन में कोई त्रुटि नही है। लट्ठा ट्रेस में विभाजन की लाईने मौके पर बिना पैमाईस किये हल्का पटवारी ने खेंच दी पक्षकारान यथा स्थान यथावत पुर्वानुसार काबिज [illegible] ट्रेस से खेत की पैमाईस की तो जानकारी में आया कि आराजी के विभाजन के समय मूल खसरा नम्बर 64 को विभक्त करते हुए लट्ठा ट्रेस में तरमीम की लाईने डाली है वह गलत है, ये लाईने कब्जे से भिन्न प्रार्थीगण व उसके सह–खातेदार विप्रार्थी सं. 1 से 4 की खातेदारी कब्जे के भीतर आती है और इससे कब्जा प्रभावित होता है अगर इस त्रृटिपूर्ण तरमीम से खेत की पैमाईस की जाय तो प्रार्थीगण के कब्जे व हिस्से में रकबा 0.5225 हैक्टेयर कम आता है व विप्रार्थीगण संख्या के कब्जे व हिस्से मे रकबा ज्यादा आता है जबकि रेकर्ड में दोनो पक्षो का रकबा बराबर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.03.24 20:13:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर मौजा जाखड़ो की ढाणी, पटवार हल्का सांवा, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 1036/1004, 1028/64, 530/64, 531/64, 1005/64 रकबा क्रमशः 5.2389, 0.2104, 10.7646, 2.7842, 2.7761 हैक्टेयर भूमि के सह खातेदारो के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने हेतु यह राजस्व आवेदन तरमीम दुरूस्ती का पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तरमीम दुरस्ती संबंधी मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा गया। तहसीलदार धनाऊ से तरमीम दुरस्ती संबंधी मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। विप्रार्थीगण को नोटिस जरिये रजि. डाक से भेजे हुए पर्याप्त समय बावजूद विप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। मौका रिपोर्ट पर प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण वकील ने अपनी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार धनाऊ से जो मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है, स्वीकार है। उसी अनुसार तरमीम दुरस्त की जावे तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

प्रार्थीगण वकील की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण अधिवक्ता तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरस्ती हेतु सहमत है। तहसीलदार धनाऊ द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में बताया कि विवादग्रस्त आराजी की राजस्व लट्ठा ट्रेस व ऑनलाईन भू नक्शा दोनों की आकृति समान है परन्तु रकबे में अन्तर पाया गया। परिशिष्ठ "ब" अनुसार मूल खसरे से विभाजित हुए खसरों का परस्पर रकबा मिलान करने पर मूल खसरे का रकबा सही पाया गया। प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती की अनुशंषा की गई है। इसलिए प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर मौजा जाखड़ो की ढाणी, पटवार हल्का सांवा, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 1036/1004, 1028/64, 530/64, 531/64, 1005/64 रकबा क्रमशः 5.2389, 0.2104, 10.7646, 2.7842, 2.7761 हैक्टेयर भूमि की तरमीम तहसीलदार धनाऊ द्वारा पेश मौका रिपोर्ट में सलंग्न प्रपत्र "ब" अनुसार दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार धनाऊ की मौका रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से पृथक हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.03.24 20:13:44 IST
Reason: SelfAttested

(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन